## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

पुनरीक्षण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

फत्तूलाल गौंड पिता श्री मिगईलाल गौंड उम्र 51 वर्ष
निवासी म.नं. 98 ग्राम पिपरिया
तहसील व जिला जबलपुर

---- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जबलपुर

2- मे. जीन सोशल डेव्लपमेंट फाउन्डेशन,
एस-191/सी सेकण्ड फ्लोर, स्कूल बॅक शंकरपुर
नई दिल्ली 110092 द्वारा अधिकृत व्यक्ति
श्री आशुतोष सक्सैनापिता श्री जी.एस.सक्सैना
निवासी मं. नं. 11 महाकौशल सोसायटी,
आधारताल जिला जबलपुर म.प्र.

---- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 126/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11-7-2016 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के- समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिछाई, नं.बं. 415 प.ह.नं. 93 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 206, 297/1, 207/2, 207/4, 207/5, 215, 217, 224/1, 221 एवं 217 रकबा क्रमशः 0.840, 0.400, 0.400, 0.150, 0.150, 0.730, 0.050, 0.640, 2.010 एवं 1.340 कुल रकबा 6.710 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति दी जाये ।

3- यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण दिनांक 11-7-2016 को प्रारंभिक तर्क हेतु नियत किया गया । दिनांक 11-7-2016 को उभयपक्ष कलक्टर, जबलपुर के समक्ष उपस्थित हुए । प्रस्तुत तथ्यों को पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखा गया ।

**XXXIX(a)BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2582–एक/16 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3-8-16 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 126/अ–21/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 11–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रिछाई, नं. बं. 415 प.ह.नं. 93 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 206, 207/1, 207/2, 207/4, 207/5, 215, 217, 224/1, 221 एवं 216 रकबा कमशः 0.840, 0.400, 0.400, 0.150, 0.150, 0.730, 0.050, 0.640, 2.010 एवं 1.340 कुल रकबा 6.710 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक कमांक 2 को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच कराए इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र 22 वर्ष एवं एक की उम्र 18 वर्ष है । आवेदक द्वारा परिवार के सदस्यों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही परिवार के सदस्यों के मध्य बटवारा हुआ है । आदेश में कलेक्टर द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों अ. हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | बताए गए कारण बताए गए कारण समाधानकारक नहीं है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण के तथ्यों को समझे आदेश पारित किया गया है क्योंकि आवेदक द्वारा जिस भूमि के विक्रय की अनुमति चाही जा रही है वह भूमि शामलाती खाते की नहीं है बल्कि एकल खाते की है जो आवेदक द्वारा स्वयं क्रय की गई है साथ ही आवेदक के पारिवारिक सदस्य द्वारा भूमि विक्रय अनुमति में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है । आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 5.88 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । उक्त आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिलाध्यक्ष के आदेश को निरस्त कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।<br><br>3— मेरे द्वारा एवं कलेक्टर के आलोच्य आदेश एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्रों के माध्यम से क्रय की गई है । उक्त भूमि शामलाती खाते की न होकर आवेदक के एकल स्वामित्व की भूमि है और विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है, ऐसी स्थिति में आवेदक को उक्त भूमि को विक्रय/अंतरित करने का पूर्ण अधिकार है । ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष द्वारा आवेद्रक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को निरस्त करने के संबंध में लिया गया यह आधार कि पारिवार के | |

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2582–एक / 16

जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | सदस्यों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही परिवार के सदस्यों के मध्य बंटवारानामा हुआ है, वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक आवेदित भूमि को अपने बच्चों की पढ़ाई, माता–पिता का इलाज तथा शेष बची भूमि की उन्नति हेतु विकय करना चाहता है किंतु उक्त संबंध में बिना किसी प्रकार की जांच कराये यह मानना कि आवेदक द्वारा बताया गया कारण समाधानकारक नहीं है, न्यायोचित नहीं है । चूंकि विकय की जा रही भूमि आवेदक द्वारा कय की गई है और संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक द्वारा बताया गया प्रयोजन सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय की अनुमति दिए जाने में वैधानिक अड़चन नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात इस प्रकरण में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । परिणामतः उसे निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम रिछाई, नं. बं. 415 प.ह.नं. 93 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 206, 207 / 1, 207 / 2, 207 / 4, 207 / 5, 215, 217, 224 / 1, 221 एवं 216 रकबा कमशः 0.840, 0.400, 0.400, 0.150, 0.150, 0.730, 0.050, 0.640, 2.010 एवं 1.340 कुल रकबा 6.710 हैक्टर | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है –<br><br>1– प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि मूल्य देने को तैयार हो ।<br><br>2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।<br><br>3– क्रेता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 2 में उल्लिखित राशि विक्रेता आवेदक के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा आवेदित भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन के मान से किया जायेगा ।<br><br>4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।<br><br>(एम0के0 सिंह)<br>सदस्य,<br>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश<br>ग्वालियर | |